विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 154 रायपुर, दिनांक 20 JUL 2026

प्रति,

1. श्री मुनीश कुमार शाह,
   गली नंबर 1, महेश कॉलोनी,
   श्रीनगर रोड़ गुढ़ियारी, जिला रायपुर (छ.ग.)
   मोबाईल नं. : 78989–82821

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 19 / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर शहर द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त–दो, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 19 / 2026

सस्थित दिनांक 03.06.2026

श्री मुनीश कुमार शाह, ...परिवादी

गली नंबर 1, महेश कॉलोनी,

श्रीनगर रोड़ गुढ़ियारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

मोबाईल नं. : 78989–82821

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 20 / 07 / 2026 को पारित)

आवेदित नवीन विद्युत कनेक्शन, प्रदान किए जाने में विलंब करने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर एवं अविलंब नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने के निवेदन के साथ परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परिवादी द्वारा, एच.पी. गैस गोदाम के पास, गोंदवारा बस्ती रायपुर स्थित अपने परिसर में, व्यावसायिक उपयोग हेतु, 5.0 कि.वा. भार का नवीन विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने संबंधी आवेदन उत्तरवादी के समक्ष दिनांक 08.05.2026 को प्रस्तुत किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के अनुसार नवीन विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के उसके आवेदन पर उत्तरवादी द्वारा, भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने एवं निर्माणाधीन भवन की, नजदीकी विद्युत पोल से दूरी निर्धारित सीमा से अधिक होने के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है । परिवादी के अनुसार बिना उसे सूचित किए हुए, उत्तरवादी द्वारा किया गया स्थल का सर्वे त्रुटिपूर्ण है । परिवादी द्वारा लेख किया गया है कि प्रश्नगत परिसर का उपयोग करने वाले श्रमिकों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं एवं भवन निर्माण के शेष कार्यों को

पूरा करने के लिए विद्युत का कनेक्शन एक अनिवार्य सुविधा है जिससे उत्तरवादी द्वारा इंकार किया जा रहा है । परिवादी के साथ स्थल का संयुक्त सर्वे करते हुए उसे नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने का निवेदन परिवादी द्वारा किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 397 दिनांक 03.07.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी का परिसर अविकसित कालोनी के अंतर्गत होने के तथ्य की पुष्टि के लिए जोन आयुक्त, नगर निगम रायपुर को पत्र लिखा गया है । परिवादी द्वारा अपने परिसर स्थित जिस भवन के लिए विद्युत कनेक्शन की मांग की जा रही है वह भी निर्माणाधीन है एवं उसके तल पर फ्लोरिंग का कार्य जारी है । प्रश्नाधीन भवन की विद्यमान ट्रांसफार्मर से दूरी लगभग 60 मीटर है जो कि आनलाईन कनेक्शन के लिए निर्धारित दूरी से अधिक है । कनेक्शन के व्यावसायिक उपयोग एवं भविष्य में संभावित लोडवृद्धि को ध्यान में रखकर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिया जाना उचित होगा । उत्तरवादी द्वारा, प्रश्नगत भवन के निर्माण की वर्तमान स्थिति से संबंधित फोटोग्राफ फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या प्रश्नाधीन भवन के निर्माण की वर्तमान स्थिति, नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित है ।

(ii) क्या परिवादी को बिना सूचित किए उसकी अनुपस्थिति में उत्तरवादी द्वारा किया गया स्थल सर्वे विश्वसनीय माना जा सकता है ।

(iii) क्या परिवादी का परिसर अविकसित कालोनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है । यदि हां तो क्या इस आधार पर परिवादी को विद्युत कनेक्शन देने से उत्तरवादी द्वारा इंकार किया जा सकता है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उसके प्रश्नगत भवन को निर्माणाधीन बताते हुए उत्तरवादी द्वारा उसे नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने में विलंब किया जा रहा है । उत्तरवादी का कथन है कि प्रश्नगत भवन अभी निर्माणाधीन है जिसके तल पर फ्लोरिंग का कार्य चल रहा है । परिवादी द्वारा अपने

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

आवेदन में भी स्वीकार किया गया है कि बाहरी दीवार पर प्लास्टर का कार्य जारी है । प्रश्नगत भवन में चल रहे फ्लोरिंग एवं प्लास्टर कार्य को ध्यान में रखते हुए एवं उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भवन के फोटोग्राफ में दर्शित भवन की स्थिति को देखते हुए फोरम, उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रश्नगत भवन अभी निर्माणाधीन है एवं वर्तमान परिस्थिति में इसमें स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना सुरक्षा मानकों के आधार पर उचित नहीं होगा अतः प्रश्नगत भवन के निर्माणाधीन होने के आधार पर स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान न किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही नियमानुसार है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा किया गया स्थल सर्वे उसे बगैर सूचना दिए हुए, उसकी अनुपस्थिति में किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है । परिवादी के अनुसार यदि उसे स्थल सर्वे के संबंध में उत्तरवादी द्वारा पूर्व से सूचित किया जाता तो वह स्थल पर उपस्थित रहकर सर्वे में आवश्यक सहयोग प्रदान करता । उत्तरवादी द्वारा स्वीकार किया गया कि सर्वे पूर्व परिवादी को इस संबंध में लिखित सूचना प्रदान नहीं की गयी थी । फोरम द्वारा उत्तरवादी को निर्देशित किया गया कि परिवादी को पूर्व सूचना देते हुए स्थल का पुनः संयुक्त सर्वे किया जाना एवं तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे ।

दिनांक 14.07.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि परिवादी को पत्र दिनांक 10.07.2026 के माध्यम से संयुक्त सर्वे के संबंध में सूचित किए जाने के बाद भी सर्वे दिनांक 13.07.2026 को परिवादी या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ । परिवादी की अनुपस्थिति में ही स्थल का पुनः सर्वे किया गया एवं पाया गया कि प्रश्नगत परिसर की नजदीकी ट्रांसफार्मर से दूरी 58 मीटर (सड़क के किनारे किनारे) है, ट्रांसफार्मर से सीधे प्रश्नाधीन भवन तक कनेक्शन देने में सर्विस तार समीप के निजी भूखंड एवं सार्वजनिक सड़क को क्रास करते हुए ले जाना पड़ेगा जो नियमानुसार एवं सुरक्षित नहीं होगा । उत्तरवादी के अनुसार आवश्यक विस्तार कार्य किए जाने के बाद ही परिवादी को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है । परिवादी द्वारा स्वीकार किया गया कि सर्वे तिथि के पूर्व इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा उसे सूचित किया गया था लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से वह या उसका कोई प्रतिनिधि संयुक्त सर्वे के दौरान उपस्थित नहीं हो सका । यद्यपि परिवादी द्वारा यह दावा किया गया कि उसके प्रश्नगत भवन की

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

निकटतम ट्रांसफार्मर से दूरी, बिना सड़क या किसी निजी प्लाट को क्रास किए हुए, मात्र 70–80 फीट है ।

फोरम के अनुसार, फोरम के निर्देश एवं उत्तरवादी द्वारा दी गयी पूर्व सूचना के बाद भी स्थल सर्वे दिनांक 13.07.2026 को परिवादी या उसके किसी प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने से यह प्रकट होता है कि परिवादी अपनी शिकायत के निराकरण के लिए स्वयं गंभीर नहीं है । उत्तरवादी द्वारा किए गए सर्वे को विश्वसनीय मानते हुए फोरम उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रश्नगत भवन के निकटतम विद्युत पोल/ट्रांसफार्मर से दूरी, आनलाईन कनेक्शन के लिए निर्धारित दूरी, 30 मीटर से अधिक होने के आधार पर, उत्तरवादी द्वारा आनलाईन स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान न किए जाने का निर्णय सही है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

8. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि भूमि या संपत्ति की वैधता पर प्रश्न उठाने का अधिकार उत्तरवादी को नहीं है । परिवादी के अनुसार उसकी भूमि एवं उसका निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित है । उत्तरवादी द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि परिवादी के परिसर के अवैध कालोनी क्षेत्र के अंतर्गत होने के तथ्य की पुष्टि के लिए नगर निगम के जोन कार्यालय को पत्र लिखा गया है । फोरम द्वारा उत्तरवादी को निर्देशित किया गया कि परिवादी से, उसके निर्माण का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा किए जाने संबंधी दस्तावेज प्राप्त करे एवं तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे ।

उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी के परिसर क्षेत्र एवं निर्माण कार्य के वैध या अवैध होने के संबंध में निर्णय लेने का उत्तरवादी को नहीं है । यद्यपि उत्तरवादी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि के लिए नगर निगम को पत्र लिखना बताया गया लेकिन फोरम यह स्वीकार करता है कि अवैध कालोनी क्षेत्र होने की आशंका के आधार पर उत्तरवादी, परिवादी को नवीन विद्युत कनेक्शन देने से इंकार नहीं कर सकता है । अपितु उत्तरवादी, परिवादी से भूमि एवं निर्माण संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सप्लाई कोड में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्युत कनेक्शन प्रदान कर सकता है ।

9. परिवादी द्वारा अपने आवेदन में लेख किया गया है कि नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उत्तरवादी के कार्यालय में बार–बार संपर्क किए जाने पर भी उसे प्रकरण में दस्तावेजों की कमी, नवीन विद्युत कनेक्शन में विलंब के उचित कारणों के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी । फोरम भी यह स्वीकार

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

करता है कि उत्तरवादी का यह रवैया, कार्य की पारदर्शिता एवं उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है । उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण उत्तरवादी द्वारा पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं संवेदनशील तरीके से किया जाना है । फोरम द्वारा इस संबंध में उत्तरवादी को निर्देशित किया गया ।

10. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

(i) प्रश्नगत भवन का निर्माण कार्य एवं विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक विस्तार कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही उत्तरवादी, परिवादी को, नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे । निर्माण संबंधी शेष कार्यों को पूर्ण करने एवं श्रमिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवादी, उत्तरवादी से अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकता है ।

(ii) परिवादी का परिसर, अवैध कालोनी क्षेत्र में होने की आशंका की पुष्टि, नगर निगम से प्राप्त किए जाने के आधार पर, लम्बे समय तक परिवादी द्वारा आवेदित स्थायी विद्युत कनेक्शन को रोका जाना उचित नहीं होगा । उत्तरवादी चाहे तो परिवादी से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्राप्त करते हुए स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान कर सकता है कि भविष्य में उसका परिसर अवैध कालोनी में होने अथवा उसका निर्माण अवैध घोषित होने की स्थिति में वह दोनों स्थितियों (सामान्य एवं अवैध/अविकसित कालोनी क्षेत्र) के लिए निर्धारित मांग राशि की अंतर राशि का भुगतान करने को बाध्य होगा ।

11. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । आदेश पारित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष